

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 177/2024

संस्करण बिश्नोई

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एजुकेशन कांउंसिल, ऑटीएस ब्रिज, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर जिला बीकानेर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक नोखा, बीकानेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, (समग्र शिक्षा), ब्लॉक नोखा, बीकानेर।

— प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.03.2024

आदेश की दिनांक : 22.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश जांगिड़, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अभिभाषक
स्थायी अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस अपील को प्रत्याहारित (withdraw) कर नए सिरे से अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं। अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रत्याहारित (withdraw) किये जाने के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी नई अपील अधिकरण जयपुर/जोधपुर में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)